(1500/CS/RSG)

1503 बजे

लोक सभा पन्द्रह बजकर तीन मिनट पर पुनः समवेत् हुई।

(श्री राजेन्द्र अग्रवाल पीठासीन हुए)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। केवल उसी का वाचन कीजिएगा, जो इसमें लिखा हुआ है।

नियम 377 के अधीन मामले

Re: Need to eradicate Japanese Encephalitis in Muzaffarpur district and its adjoining in Bihar.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): नियम 377 के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान बिहार के मुजफ्फरपुर में हर साल दिमागी बुखार (जापानी इन्सेफेलाइटिस) से बच्चों की हो रही मौत की तरफ दिलाना चाहती हूँ। इस वर्ष भी 120 से ज्यादा बच्चों की मौत 20 दिनों में हो चुकी है। हमारे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के हो रहे इलाज का मुआयना स्वयं बिहार जाकर किया है। इस बीमारी से प्रभावित मुजफ्फरपुर के स्थानों का भी दौरा किया है। यह बीमारी हर साल हो रही है। आवश्यकता इस बात की है कि इस पर व्यापक रिसर्च की जाए और आने वाले समय में केन्द्र सरकार द्वारा प्रयास किया जाए कि मुजफ्फरपुर के आसपास वाले जिलों में ऐसी बीमारी न पनपे। चिकित्सा विशेषज्ञों ने अध्ययन के बाद निष्कर्ष निकाला है कि बीमारी के बाद बच्चों में विकलांगता का खतरा भी बना रहता है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एम्स की टीम मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में इस भयंकर बीमारी का गहरे स्तर पर अध्ययन कर रही है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हर साल मुजफ्फरपुर के आसपास के जिलों में आने वाले समय में हो रही दिमागी बुखार जैसी बीमारी पर नियंत्रण किया जाए और हमेशा-हमेशा के लिए इस भयंकर बीमारी को जड़ से समाप्त किया जाए। धन्यवाद। (इति)

(1505/RV/RK)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): आप बैठिए, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं।

…(व्यवधान)

माननीय सभापति: कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी, केवल वही रिकॉर्ड में जाएगा, जो नियम-377 के अन्तर्गत है।

…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)…(व्यवधान)

माननीय सभापति: डॉ. भारती प्रवीण पवार।

Re: Need to provide assistance for Swajal Scheme and National Rural Drinking Water Programme in Dindori Parliamentary Constituency, Maharashtra

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): सर, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित अपने संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में पानी की हो रही विकट समस्या की तरफ दिलाना चाहती हूं। इस संसदीय क्षेत्र के शहरों में 25 से 30 दिनों में केवल एक घंटे पानी लोगों को मिलता है, जिसके कारण महिलाएं एवं बच्चे पानी लेने के लिए लाइन में लगते हैं एवं एक घंटे के बाद लोग बिना पानी के अपने-अपने घर लौट जाते हैं। दिन्डोरी के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शुद्ध जल के अभाव में गन्दे तालाब और नहरों से प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। प्रदूषित पानी के सेवन से लोग बीमार भी हो रहे हैं। नासिक जिले में कई डैम हैं, परन्तु उनमें केवल 17 प्रतिशत पानी मई के महीने में था। मेरे संसदीय क्षेत्र में मॉनसून की देरी से किसानों को अपने खेतों को सिंचाई करने में दिक्कत महसूस हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पशुओं को पानी की कमी से चारा एवं पानी नहीं मिल पा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों में जो कुएँ और तालाब हैं, उनमें पानी सूख चुका है। एक अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष के दिसम्बर माह तक महाराष्ट्र के तीन हजार गांव सूखे की भयंकर चपेट में आ सकते हैं, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी के अधिकांश गांव हैं।

सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं स्वजल एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत जल्द सहायता दी जाए। (इति)

माननीय सभापति: श्री दिलीप साईकिया - उपस्थित नहीं।

डॉ. सुजय विखे पाटील - उपस्थित नहीं।

डॉ. सुभाष भामरे - उपस्थित नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल - उपस्थित नहीं।

Re: Payment of compensation to people affected by construction of N.H. 58E in Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): सभापति महोदय, एन.एच.-58 ई, उदयपुर से झाडोल, फलासीया, खोखरा, गुजरात बॉर्डर तक बनने वाले हाईवे के अन्तर्गत आने वाले भूमि, मकान, आबादी आदि लोगों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अत: शीघ्र ही शिविर लगाकर उन सभी प्रभावित लोगों को तुरन्त मुआवजा दिया जाए तथा इस कार्य में विलम्ब करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर मुआवजा देने की समय सीमा तय की जाए।

(इति)

माननीय सभापति: श्री ढालसिंह बिसेन - उपस्थित नहीं।

श्री अजय भट्ट - उपस्थित नहीं।

(1510/PS/MY)

Re.: Need to erect stone wall along coastal areas of Chellanam, Vypin and Kuzhuppilly in Kerala

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Sea attack is one of the major issues of the coastal areas in my constituency like Chellanam, Vypin and Kuzhuppilly. People living in these areas, mostly fishermen are struggling a lot for survival. As per the study report of IIT Chennai, making a wall made of stones stretching into the seal local name “Pulimuttu” will be of great help for the people residing in these areas. So, I urge upon the Government to intervene in this matter and do the needful to alleviate the agonies of the people living in these areas by conducting proper study and implement some fruitful projects to protect the people living in the coastal areas and also to allocate sufficient funds for the same.

(ends)

Re.: Need to provide adequate compensation to flood affected victims of Idukki district of Kerala

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Idukki is one of the most affected districts of recent floods in Kerala. But the State Government was helpless and they failed to provide adequate assistance to the public. Thousands of households and livelihoods were lost. The loss figures are incomprehensible. However, the State has failed to provide any kind of compensation. In many cases, compensation has allegedly been paid on political leaning. Damage figures are countless. Partially homeless is still dwelling in their ruined houses. An important issue is suicide of farmers who are suffering on account of sequestration process. The process of confiscation must be frozen with immediate effect.

Now, another monsoon is knocking at the door of Kerala. Therefore, the Government should take adequate steps before any further loss. I urge upon the Central Government to appoint another fact-finding team to recalculate the damage and provide equal compensation to the victims.

(ends)

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor – Not present.

Dr. Shrikant Eknath Shinde – Not present.

Re.: Need to provide adequate funds for construction of Railway Bridge in Naguar district, Rajasthan

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, नागौर जिले के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न रेलवे ब्रिज (पुलिया) के अधूरे निर्माण व कार्य शुरू नहीं होने से आमजन को विभिन्न तकलीफों व रोजमर्रा के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): जो लिखा है, वही पढ़िए। इसके अलावा कोई भी चीज़ रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। जो लिखा है, केवल वही रिकॉर्ड में जाएगी।

श्री हनुमान बैनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, राज्य सरकार के अधिकारी केन्द्र से आर्थिक राशि किश्त नहीं मिलने की शिकायत पर ठेकेदारों से कार्य व भुगतान नहीं होने पर निर्माण रूके होने की वजह बता रहे हैं। कृपया लोक महत्व के विषय पर चर्चा व जवाब द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

(इति)

Re.: Need to provide rail services in Mangaldoi parliamentary constituency, Assam

श्री दिलीप साईकिया (मंगलदाई): सभापति महोदय, हमारा राज्य असम पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के यातायात के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र मंगलदाई में रेल नेटवर्क की आवश्यकता की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदाई रेल नेटवर्क से बिल्कुल ही कटा हुआ है।

मंगलदाई के दोरांग जिले में आज तक रेल लाइन नहीं है। यह क्षेत्र पूर्ण रूप से रेल नेटवर्क से कटा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तटीय क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है तथा दोरांग जिला और उत्तरी कामरूप जिले की आजादी को रेल यातायात की सुविधा नहीं मिलने के कारण यहां उगने वाली प्रचुर मात्रा में सब्जियां और अन्य कृषि उत्पादन से क्षेत्र की जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिला पाता है। इस कारण क्षेत्र की जनता को आर्थिक रूप से काफी क्षति उठानी पड़ती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द रेल नेटवर्क को बहाल किया जाए और यदि इस संबंध में कोई सर्वे रेल मंत्रालय द्वारा कराया गया है तो उस कार्य को जल्द से जल्द करवा कर रेल लाईन बिछाने का कार्य जल्द से जल्द कराया जाए जिससे क्षेत्र की जनता को पूर्ण लाभ मिल सके।

(इति)

(1515/RC/CP)

Re: Need to acquire defence land to complete two NHAI projects on National Highway – 222 in Ahmednagar City of Maharashtra

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Ahmednagar city is well connected with major cities of Maharashtra and adjoining States. The National Highway-222 passes through core area of the city. Due to this, there is enormous traffic congestion on the highway. In order to resolve this issue of traffic congestion, NHAI had already proposed two projects respectively 3.08 kilometres long elevate structure on Pune-Aurangabad highway and 40 kilometres long bypass of NH-222. To start work on these projects some defence land is required to be acquired at the earliest. Land required for these projects, is 0.48 hectare and 0.80 hectare respectively which is a total of 1.0827 hectares land. Due to these small parcels of defence land, works of the projects are not progressing.

As per Defence Land Policy, Ministry of Road Transport and Highways must submit proposal for in-principle approval and after that there will be final approval. Through this august House, I humbly request the Government to order to submit these proposals of acquiring defence land at the earliest to the Ministry of Defence to give relief to thousands of commuters from the traffic congestion.

(ends)

Re: Need for housing scheme for homeless people

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा आवासहीन सदस्यों को आवास भवन काफी संख्या में प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकाय संस्थानों में निर्माण हेतु अनुमति दी जाती है, परन्तु वर्तमान में राज्य सरकार अपना शेयर नहीं लगा पाने या कम राशि देने के कारण प्रत्येक पंचायतों या नगरीय निकायों में आवास कोटा काफी कम हो गया है, जिससे नामित व्यक्ति आवास बनाने हेतु नाम होने के बाद से आबंटन न मिलने से परेशान है। इससे भारत सरकार की प्रत्येक आवासहीन को आवास देने की नीति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

(इति)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल): मैं एक बार और नाम पुकार रहा हूं। अगर सदस्य आ गए हों, तो कृपया अपना काम कर दें।

डॉ. सुभाष रामराव भामरे	-	उपस्थित नहीं।
श्री जगदम्बिका पाल	-	उपस्थित नहीं।
श्री अजय भट्ट	-	उपस्थित नहीं।
डॉ. शशि थरूर	-	उपस्थित नहीं।
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	-	उपस्थित नहीं।

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF SPECIAL ECONOMIC ZONES (AMENDMENT) ORDINANCE AND SPECIAL ECONOMIC ZONES (AMENDMENT) BILL

1518 hours

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : माननीय सदस्यगण, अब हम मद संख्या 9 और 10 को एक साथ चर्चा के लिए लेंगे।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

> "That this House disapproves of the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 (No.12 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019."

1518 hours

THE MINISTER OF RAILWAYS AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI PIYUSH GOYAL): I beg to move:

> "That the Bill to amend the Special Economic Zones Act, 2005, be taken into consideration."

महोदय, भारत एशिया के विभिन्न देशों में लगभग पहला देश था, जिसने इस बात को समझा कि निर्यात को कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे देश से पूरी दुनिया के साथ वाणिज्य को बढ़ाया जाए, ट्रेड को बढ़ाया जाए, कैसे भारत में उत्पादित हुई चीजों को पूरी दुनिया के मार्केट्स तक पहुंचाना चाहिए और कैसे लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो एक्सपोर्ट एक बहुत इंपोर्टेंट अंग रहेगा आगे की अर्थव्यवस्था में, इसको देखते हुए शुरुआत में 1965 में कांडला में सबसे पहले एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन शुरू किया गया था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कुछ सुविधाएं दी गईं कि आप बिना इंपोर्ट ड्यूटी अपने कैपिटल गुड्स ला सकते

हैं, मशीनरी वगैरह ला सकते हैं, कुछ आपका रॉ मैटेरियल लगता है, तो उस सामान को बिना ड्यूटी पे किए ला सकते हैं। वहां पर प्रोसेस करके वहीं से आप विदेश भेज सकते हैं।

(1520/NK/SNB)

उस समय लोकल टैक्सेज की वजह से भारत की कई वस्तुएं कम्पिटीटिव नहीं रह पाती थीं, प्रतियोगिता में खड़े नहीं रह पाते थे, वे अपना सामान नहीं बेच पाते हैं। उन सब को भी सुविधा मिलने लगी। वह प्रयोग साधारणत: सफल रहा। दुर्भाग्य से यह बहुत सीमित रहा, हमने बहुत बड़े रूप में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स नहीं बनाए। देश में सिर्फ सात प्रोसेसिंग जोन बने थे। जब माननीय प्रधान मंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब तक सात एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लग चुके थे। अटल जी ने इस बात के ऊपर गहराई से चिंता की, विदेश के अलग-अलग देशों में क्या मॉडल बनते हैं, कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को आगे बढ़ाया जाए, उसकी चिंता की। जहां तक मुझे याद है, उस समय के वाणिज्य मंत्री माननीय मुरासोली मारन जी को सिंगापुर और चीन एसईजेड देखने के लिए भेजा गया था कि कैसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन और आगे सुविधाजनक हो सकता है।

अप्रैल, 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी एनडीए के समय रखी गई। उस पॉलिसी में ये कोशिश की गई कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक इंजन का काम करे। जैसे हमारी रेलगाड़ी चलती है, इंजन पर चलती है और इंजन तेज गति से चलने के लिए शक्ति देता है, वैसे ही एसईजेड को भी देश की अर्थव्यवस्था को इंजन बनाने के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए अटल जी की सरकार ने पॉलिसी बनाई। जहां तक मुझे याद है एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बार्डर पर था और दूसरा गुजरात में था। इस एसईजेड की कल्पना यह थी कि कैसे बड़े पैमाने पर एक जमीन के हिस्से को सरकार उद्योग लगाने के लिए तैयार करे, अलग-अलग प्रकार से इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। कल्पना यह थी कि उसमें साफ-सुथरा वातावरण हो, पर्यावरण की चिंता न हो, उसके लिए चिंता की जाए। प्लग एंड प्ले एवेलेवल हो, जो

उद्योग लगाना चाहे, नया व्यापार शुरू करना चाहे, उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधाएं एक जगह पर आसानी से मिले, उसको कई जगहों पर भटकना न पड़े।

अभी बीच में थोड़े समय के लिए लंच ब्रेक हुआ तो मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी का भाषण देखने सुनने का सौभाग्य मिला। उस समय यही विषय वहां चल रहा था, जब कई बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की आलोचना होती है। उसके जवाब में प्रधान मंत्री जी यही बता रहे थे कि हम उस प्रकार का ओल्ड इंडिया नहीं चाहते हैं, जिस ओल्ड इंडिया में लोगों को इंसपेक्टर राज झेलना पड़े, उस ओल्ड इंडिया में इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में उद्योग न पाए। वह अलग-अलग उदाहरणों से बता रहे थे कि हम कैसे नए इंडिया की कल्पना करते हैं। हम भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए काम करते हैं। यही सिलसिला अटल जी ने 2000 में प्रयास करने का शुरू किया था, अच्छे फिसकल टैक्स बेनिफिट दिए गए। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ने अपने-अपने कानून बनाने की प्रक्रिया की, नए प्रयोग को बल देने के लिए केन्द्र और राज्यों से भी कुछ सहयोग मिला, कम से कम कानूनी दांव पेंच हो, कम से कम कठिनाइयां हों, प्लग एंड प्ले, सिंगल विंडो और सरल व्यवस्था से लोग काम कर सकें। यहां जो से वस्तु आएं, वह दुनिया में बिना किसी अड़चन या बिना कोई इम्पोर्ट ड्यूटी के आ सकें। यहां जो वस्तुएं बनती है उसे साधारणत: आसानी से विदेश भेजा जा सके। एक प्रकार एक्सपोर्ट कम्पिटेटीव प्रोडक्शन के लिए एक बहुत बड़ी सोच उस समय के माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के समक्ष रखी थी।

(1525/YSH/RU)

फिर उसको और बल देने के लिए उस समय की सरकार ने 2005 में एस.ई.जेड. के लिए एक कांप्रिहैन्सिव स्पेशल इकोनोमिक जोन्स का एक्ट पारित किया और मैं समझता हूँ, उस एक्ट के बन जाने से, एक प्रकार से एस.ई.जेड. पॉलिसी को और ज्यादा बल मिलना चाहिए था, और ज्यादा उसको गति मिलनी चाहिए थी।

स्पीकर सर, यह जो स्पेशल इकोनोमिक जोन्स की कानून व्यवस्था बनी है, यह सन् 2005 में बनी। सन् 2005 तक जिस-जिस प्रकार के स्ट्रक्चर्स में लोग काम करते थें, उनमें इंडिविजुअल्स

प्रोपराइटरशिप में काम करते थें, कोई एच.यू.एफ में करता था ,कोई प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, कोई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स में काम होते थे। उन सभी को उस समय के कानून में डिफाइन किया गया। जब कानून की डेफिनेशन में पर्सन्स की डेफिनेशन आई, जिन लोगों को यह कानून अप्लाई करेगा, उसमें अलग-अलग प्रकार से कई सारे प्रावधान किए गए और उन प्रावधानों के तहत उस समय जो साधारणत: तरीके थें, जिन तरीकों से लोग कम्पनियां बनाते थे, जिस तरीके से लोगों ने अपने व्यवहार या अपने व्यापार को प्लान किया, वह उस समय उन्होंने प्रोवाइड किए थे, लेकिन समय बदलता है, समय के साथ-साथ नए-नए तरीके बनते हैं, काम करने के, व्यापार करने के और उस समय की जो डेफिनेशन थी क्लॉज 5 सेक्शन 2 ऑफ दी एस.ई.जेड. 2005 में उसमें पर्सन सीमित था। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो, चाहे भारत में रहे, चाहे विदेश में रहे, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी हो, कम्पनी हो, चाहे भारत की कम्पनी हो, चाहे विदेश की कम्पनी हो, क्योंकि ये एस.ई.जेड. एक्सपोर्ट के लिए है तो विदेशी कम्पनी भी वहां लगा सकती है। यह प्रावधान बनाया है। साथ ही साथ कोई फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्रोपराइटरी कन्सर्न हो, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, कई बार कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, लेकिन उसको पार्टनरशिप का रूप नहीं देते, ए.ओ.पी. बनाते हैं। ऐसे कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ये भी एक अलग कानूनी तरीका है, जिससे लोग मिलकर कोई एक काम करते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं। लोकल अथॉरिटी हो, जैसे कि कोई कॉरपोरेशन हो, पंचायत हो या कोई एजेंसी ऑफिस या ब्रांच, ऐसी संस्था का हो जो इंडिविजुअल एच.यू.एफ., कॉ-ऑपरेटिव वगैरह-वगैरह तो उसका कोई ब्रांच ऑफिस भी वहां लग सकता है। इस प्रकार से डेफिनेशन में कुछ चीजें लाई गईं, जो उस समय साधरणतया चलती थीं लेकिन समय के बदलने के साथ-साथ एक नया मोड ट्रस्ट आया है। आज के दिन निवेश करने के लिए कई सारी ऐसोसिएशन, कई सारे निवेशक एक ट्रस्ट का मॉडल इस्तेमाल करते हैं, निवेश करने के लिए। कुछ लोग जो यहां व्यापार या उद्योग जगत से जुड़े हैं, उनको या हमारे विख्यात वकील हैं उनको ध्यान होगा कि एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है-जैसे ए.आई.एफ. ये नया तरीका निकला है, जिससे लोग आजकल

निवेश करने लगे है। एक प्रकार से सिमिलर टू ए म्यूच्अल फंड ऑल्टरनेट इनवेस्टमेंट व्हीकल में अलग-अलग कम्पनियां, अलग-अलग निवेशक, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड की कम्पनिया, इंश्योरेंस कम्पनियां ये सब अपना पैसा एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रस्ट के माध्यम से डालती हैं। वह फिर निवेश करता है और जब उस निवेश में से कुछ कमाई होती है, तो जिस-जिस से निवेश किया, उन सभी में वह बंट जाता है। तो एक ट्रस्ट का काम करने का नया रूप आजकल आया है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक प्रयोग किया है। जैसे लंडन, सिंगापुर, न्यूयार्क, ये बड़े बड़े विश्व के फाइनेन्शियल सेन्टर्स बने, आज विश्व में किसी को कोई बड़ा काम करना हो, बड़े रूप में पैसा इकट्ठा करना हो, जिससे बड़ा व्यापार कर सके, बड़ा उद्योग लगा सकें तो साधारणतया यह इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल सेन्टर्स जो अधिकांश रूप में पश्चिम में थे, लंडन, न्यूयार्क, आजकल सिंगापुर बनता जा रहा है। एक नया इन्टरनेशनल फाइनेन्शियल सेन्टर हांगकांग बन गया है।

(1530/RPS/NKL)

भारत में इस प्रकार का कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर नहीं हैं। प्रधान मंत्री मोदी जी ने गुजरात से शुरू किया – गिफ्ट सिटी, जिसमें एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने का प्रयास किया गया। वहां से शुरू हुआ, अब मेरी जानकारी में है कि शायद मुंबई में भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनाने की कल्पना है या बनने जा रहा है। वैसे ही हरियाणा में भी सुनते हैं कि वहां की सरकार प्रपोज कर रही है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बने। इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स में खास तौर पर जब निवेश होता है, जब वहां लोग काम करना चाहते हैं, वहां पर ट्रस्ट का मॉडल काफी इस्तेमाल होता है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सोचा कि एसईज़ेड एक्ट में पर्सन की जो डेफिशन है, उसमें ट्रस्ट को भी शामिल किया जाए, जिससे ऐसे ट्रस्ट्स और इन ट्रस्ट्स के माध्यम से बड़े रूप में निवेश भारत में भी आए और भारत की भी पेंशन कंपनीज, प्रॉविडेंट फण्ड कंपनीज, इन्श्योरेंस कंपनीज और विदेशी कंपनीज, क्योंकि एसईज़ेड विदेश से सम्पर्क रखता है, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनीज, सभी को एक अन्य तरीका मिले भारत में निवेश करने का, जिसे कानूनी प्रक्रिया से पूरी तरीके मंजूरी मिली हुई है। इसलिए

एसईज़ेड एक्ट में ट्रस्ट को भी शामिल किया जाए। यह एक फास्ट इवॉल्विंग वर्ल्ड है, दुनिया बदलती जा रही है। देश ने तय किया कि अब इस बदलती हुई दुनिया में हमें भी आगे बढ़ना है, हमें कोई पुरानी सोच या पुराने विचारों में, ओल्ड इंडिया में नहीं रहना है, हमें उभरती हुई नई व्यवस्थाओं में भारत को भी आधुनिक बनाना है, भारत को भी नया बनाना है। उसके लिए ट्रस्ट को भी शामिल करना है। यह खास तौर पर सर्विसेज सेक्टर में एन्टिटी बनाने का एक बहुत कॉमन फॉर्म है। उसके लिए म्युचुअल फण्ड्स, डेट इनवेस्टमेंट फण्ड्स आदि सभी को भारत की तरफ आकर्षित किया जाए, एसईज़ेड्स में उनको आकर्षित किया जाए कि वे लोग बड़े रूप में निवेश लाएं। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी इसे परवानगी दे दी है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में ट्रस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इनको रिकग्नाइज किया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का काम ट्रस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। इस बिल के माध्यम से हम सिर्फ इतना प्रावधान ला रहे हैं कि ट्रस्ट के रूप में भी लोग एसईज़ेड में काम कर सकते हैं। चूंकि बदलती हुई दुनिया में शायद आगे चलकर और कोई नया तरीका भी काम करने के लिए आ सकता है तो हमें लगा कि यह अच्छा रहेगा कि जब हम इसे संशोधित कर ही रहे हैं तो ऐसे संशोधित करें कि ट्रस्ट और आगे चलकर यदि कोई नया सिस्टम आए, नई एन्टिटी का रूप आए तो सरकार उसे भी नोटिफाई कर सकती है। इसके लिए बार-बार सदन में न आना पड़े, उसके लिए केन्द्र सरकार को यह पावर दी जाए कि यदि व्यापार करने का ऐसा कोई नया तरीका भारत में आता हो, भारत में हम उसे प्रोत्साहन देना चाहें तो वह उसे नोटिफाई कर सके।

मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस स्पेशल इकोनोमिक जोन्स (अमेडमेंट) बिल, 2019 को एप्रूव करें और हमने जो स्पेशल इकोनोमिक जोन्स (अमेडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2019 के माध्यम से इस सिलसिले को गति देने के लिए इश्यू किया था, क्योंकि चुनाव आ रहा था, लम्बा फ़ासला पड़ने वाला था और हम चाहते थे कि निवेश के कोई प्रपोजल्स अटक न जाएं, उस सबको मद्देनजर रखते हुए इसे ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया था, इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करके अगर

सदन आज इस बिल को पारित कर दे तो मैं समझता हूं कि आगे इस नए रूप से भी बड़े रूप में भारत में निवेश आने का रास्ता बन जाएगा। धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Motions moved:

> "That this House disapproves of the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 (No. 12 of 2019) promulgated by the President on 2 March, 2019."

> "That the Bill to amend the Special Economic Zones Act, 2005, be taken into consideration."

1534 hours

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Chairman Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I rise to oppose the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, 2019 and also the Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019, as there is no transparency in this legislation and it also lacks *bona fide* intentions.

Sir, it is a well-established constitutional principle that Article 123 (1) can be invoked only in extra-ordinary circumstances when the House is not in Session. It is an independent legislation brought out by the Executive. So, an Ordinance should be issued only under compelling circumstances. Further, Article 123 does not speak about the replacement of an Ordinance by an act of Parliament.

(1535/KSP/RAJ)

But as per the conventions, customs, traditions and precedents of this House, we are replacing an Ordinance by an Act of Parliament even though there is no particular provision in the Constitution. So, I fully agree with it. But the ordinance route of legislation is not good for a healthy parliamentary democracy. This is the accepted position taken by the BJP when they were in Opposition. It is not at all good governance. But I do concede and agree with the hon. Minister and the Government that there will arise circumstances by which the Government will be forced to promulgate Ordinances in the case of extraordinary or compelling circumstances as the Government cannot wait for

the Parliament to be convened. In such circumstances, it is absolutely inevitable to have the right to issue Ordinances under Article 123 (1). Definitely, we will agree with it.

Here in this case, if you examine the Special Economic Zones (Amendment) Ordinance, what is the exigency or emergency or extraordinary or compelling circumstance prevailing in this country so as to issue this Ordinance? That is the specific question the hon. Minister has to answer. I cannot find any reason or any compelling circumstance forcing the Government to promulgate such an Ordinance. What was the emergency or urgency existing at the time of election? …(*Interruptions*) I will substantiate it.

Sir, this Ordinance was issued on 2nd March, 2019. The 17th Lok Sabha Election Schedule was declared on 10th March, 2019 and the Model Code of Conduct came into effect from that day. So, what is the content of the Ordinance and what is the content of the Bill? It is a small matter. It is simply changing the definition of the term 'person' in Section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005. On a perusal, we will know that it is a harmless Bill. But let us examine the intent of this Ordinance. The Special Economic Zones Act, 2005 was enacted with a view to provide for the establishment, development and management of the Special Economic Zones for the promotion of exports.

The hon. Minister has also quoted the definition. Section 2 (v) of the Special Economic Zones Act, 2005 says:

> "person includes an individual, whether resident in India or outside India, a Hindu undivided family, co-operative society, a company, whether incorporated in India or outside India, a firm, proprietary concern, or an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not, local authority and any agency, office or branch owned or controlled by such individual, Hindu undivided family, co-operative, association, body, authority or company."

That means, almost all the associations, persons or individuals come within the purview of definition of Section 2 (v). Why "trust or entity" is being incorporated in this definition on 2nd March, 2019 just eight days before the Election Schedule was announced?

Sir, you may kindly see that those who come within the purview of this definition are eligible to get permission to set up a unit in the Special Economic Zone. If you make an amendment to Section 2 (v) of the Act, you are changing the definition of the term "person". That means, if an entity or a trust have started a unit in the Special Economic Zone, they will be eligible for getting the benefits as per the Special Economic Zones Act, 2005. By this Ordinance, the Government has amended the definition of the term "person" by including "trust or entity" as may be notified by the Government. It means, it can be done as per the whims and fancies of the Government. So, whatever entity or trust, which is being notified by the Government, is eligible for getting the benefits, concessions or incentives in the Special Economic Zones.

Sir, you may kindly see that the Parliament has limited the scope of the person entitled to start a unit in the Special Economic Zones in the year 2005.

(1540/SRG/IND)

But through the executive powers under Article 123(1), you have changed the definition by providing unfettered discretionary authority to the Government, giving permission to any trust, any entity to start a unit in the SEZ and get the benefit of Special Economic Zone. What is the role of the Parliament? The Parliament, in the year 2005, has passed a law. It is a comprehensive definition as far as the law is concerned. Section 2(5) is a comprehensive definition. That was the will of the people. It was the law made by the Parliament. On 2nd March, 2019, without taking the confidence of the Parliament, the Executive have brought a legislation through the route of an ordinance and changing the definition of a person and incorporating two terms 'entity' and `trust'. What is the intention behind it? What is the intention behind it? By this change, the Executive have taken away the authority of the Parliament and by this Act, you are undermining the authority of the Parliament. By this amendment, the sanctity and the very purpose of the definition is lost. Whichever entity, in which the Government is interested, can have the SEZ benefit, which means SEZ benefit eligibility is according to the whims and fancies of the Government. Then, what is the role of the Parliament. It is absolutely undermining the authority of the Parliament which

cannot be accepted. That is why, I am strongly opposing the ordinance route of this legislation.

Coming to the amendment. Two words have to be incorporated in the definition person i.e. `trust' and `entity'. …(*Interruptions*). I will quote the rule if you want. Sir, you may kindly see whether these words are defined in the original Act. There is no definition. `Trust' is not defined in the original Act and `entity' is also not defined in that. What do you mean by `entity'? As per the dictionary, a thing with distinct and independent existence is an entity. That means anyone at the instance of the Government can be brought within the purview of `person' as may be notified by the Government. Suppose the Government is interested in a group of persons or association of persons, by this notification, he is eligible for the SEZ benefit. How can it be? How can the Government be given such an unfettered right? I am again and again asking what is the role of the Parliament?

Finally, I would like to ask the hon. Minister the urgency in issuing this ordinance. I reasonably have apprehensions that this ordinance is issued just to benefit some companies. This has never happened in our Parliamentary democracy. …(*Interruptions*).

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : आपके बाद राइट टू रिप्लाई भी है। आप बाद में कहिएगा। यह छोटा-सा बिल है, केवल 2 घंटे का।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I have just started. I am coming to the contents of the ordinance. I am about to conclude. I am the mover of the statutory resolution. Since the discussion is both on the bill and the ordinance,

so I am entitled to speak on the Bill and the ordinance. I will abide by your ruling. I will conclude. Sir, what is the interest in having this legislation? Normally, the legislation begins when the society demands. Here, what is the urgency and what is the demand which is being made by the society? I would also like to know how many entities or trusts are notified for the purpose of this Act since 2nd March, 2019 i.e. the date of issuance of the ordinance. I would like to have specific answer from the Government, how many entities have been notified by the Government after promulgation of this ordinance? That is why, I am opposing the Bill.

Coming to the SEZ Act, as the hon. Minister has rightly said, the SEZ policy was issued in April, 2000 at the time of Atal Bihari Vajpayee Ji. But the legislative recognition to the SEZ was given at the time of Dr. Manmohan Singh Government in the year 2005 and the rules were also made in the year 2006. For academic interest, I would like to state all the facts. The Government has targeted hundred million job creation and to achieve a 25 per cent of the GDP from manufacturing sector by 2022 and increase the manufacturing value to USD 1.2 trillion by 2025.

(1545/KKD/VB)

The policy was adopted in 2000 as a part of Exim Policy to promote export and propel the growth of GDP in the country. In order to promote export and propel the growth of GDP, so many incentives/benefits were given. The import duty is exempted and one single-window clearance is there. So many tax concessions and incentives are being given.

I would like to know from the hon. Minister whether the Government could achieve this target with the experience of last 15 years.

Further, it is being reported that there is a vast gap between the land utilised and the land unutilised in the premises of SEZs and units across India. It raises serious questions of land acquisition policy and directions towards these SEZs.

HON. CHAIRAPERSON (SHRI RAJENDRA AGRAWAL): Now, Shri Rajiv Pratap Rudy.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, let me conclude. The Mover of the Resolution is being restricted like this!

HON. CHAIRPERSON: You have already taken much time.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): No, Sir I have taken just five to six minutes.

HON. CHAIRPERSON: You have the right to reply also. Now, please conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Yes, Sir.

My second query is, how the Government going to address the issue of unutilised land of SEZs.

With these questions and suggestions, once again, I would like to oppose the Ordinance route of legislation and the contents of the Bill.

Thank you very much.

(ends)

1547 बजे

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): माननीय सभापति जी, आज Special Economic Zone (Amendment) Bill, 2019 विधेयक पेश हुआ It is to amend the Special Economic Zones Act, 2005. इस एक्ट के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न्स में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 'person' शब्द के स्थान पर 'trust or entity' को इनक्लूड करना है। 'पर्सन' का डेफिनिशन इसमें दिया गया है, It say that "person" includes an individual, whether resident in India or outside India, a Hindu undivided family, co-operative society, so on and so forth.

माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से इसकी पृष्ठभूमि बताई। वैसे तो हजारों वर्षों से जिब्राल्टर के मार्ग या स्विस कैनाल से फ्री ट्रेड का कांसेप्ट रहा है। लेकिन पूरे विश्व में पहली बार 1959 में फ्री ज़ोन एस्टैब्लिश हुआ था, जो आयरलैंड के शैनोन में हुआ था। 70 के दशक में ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका में इसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा। उसके बाद कोरिया, मॉरिशस, ताईवान, चाइना में हुआ। चाइना ने तो इसमें एक्सेल ही कर दिया। हम तब तक भारत में इसकी शरुआत नहीं कर पाए थे। इंटरनैशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है कि 1986 तक पूरी दुनिया में, भारत में उस समय तक पूरी तरह से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, 176 ज़ोन्स का निर्माण 47 देशों में हो चुका था। 2006 तक, जब यह कानून बना, तब तक पूरी दुनिया में ऐसे 3500 ज़ोन्स बना दिये गये थे, जो लगभग 130 देशों में बनाए गए थे। एक प्रकार से हम थोड़े लेट से ही चल रहे थे, जब इस ओर अभियान चला।

आज पूरी दुनिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो अंश है, वह लगभग 200 बिलियन डॉलर है। यानी एक बिलियन डॉलर सात हजार करोड़ रुपये होता है। आज पूरी दुनिया के अनुपात में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स का जो कंट्रीब्यूशन है, वह लगभग 200 बिलियन यूएस डॉलर है और इसमें लगभग 40 मिलियन लोगों को रोज़गार मिलता है।

इसकी एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई थी, to include 'trust' in the definition of "person". भारत में जिस प्रकार से स्वीकृति देने की प्रक्रिया है, एक बोर्ड ऑफ एप्रूवल है, जिसको कॉमर्स सेक्रेट्री हेड करते हैं। वहाँ आवेदन जाता है। इसमें राज्य सरकारों का भी योगदान है। केन्द्र सरकार उसकी

नीति बनाती है। हमने 'पर्सन्स' का डेफिनिशन बताया। भारत में 1965 में कांडला पोर्ट पर सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन ज़ोन बनाया गया। वह हमारे लिए एक्सपेरिमेंट था, हमारे लिए शुरुआती दौर था। गुजरात से इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय इसमें मूल उद्देश्य यह था कि पुरानी सरकारों में जो बहुत-से नियंत्रण थे, हमने देखा है, वह गलत नहीं था, भारतवर्ष में उस समय बहुत नियंत्रण थे। बहुत सारे क्लीयरेंसेस के लिए कागज जमा करने पड़ते थे। हमारा उद्देश्य था कि विदेशी निवेश को हम भारत में आकृष्ट करें।

(1550/PC/RP)

वर्ष 2000 में इसकी पॉलिसी बनाने की रूप-रेखा तैयार हुई। जैसा पीयूष जी बताया कि उस समय एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सरकार में थे। सौभाग्य से मैं 18 साल पहले उस विभाग का मंत्री था। अब काफी समय निकल गया है। हमारे एक मित्र यहां बैठते हैं। वे आज यहां नहीं है, राजा साहब जहां बैठते हैं। उस समय उनके पिताजी मुरासोली मारन भारत सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर थे और मैं उनका छोटा मंत्री था। मेरा सौभाग्य रहा है कि देश के तीन कॉमर्स मिनिस्टर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिला - जिनमें एक मुरासोली मारन थे, एक माननीय अरुण जेटली साहब हैं और एक अरुण शोरी साहब हैं। मैं उस समय छोटा मंत्री था।

डब्ल्यूटीओ पर हस्ताक्षर के समय मैं मारन साहब के साथ गया था। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे आज भी याद है। वे हमारी सरकार, एनडीए के पार्ट थे और उन्होंने उस समय हमें काफी कुछ सिखाया था। इसके साथ-साथ यह सिलसिला चलता रहा। वर्ष 2005-06 तक कोई कानून नहीं बना, इसलिए भारत की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, उसके तहत हम लोगों ने इन इकोनॉमिक ज़ोन्स की शुरुआत की थी।

The main objectives were generation of additional economic activity, promotion of exports of goods and services, promotion of investment from domestic and foreign sources, creation of employment opportunities, it was very important, along with the development of infrastructure facilities. So, both foreign and domestic investments were allowed and that continues till date. Also, the role

of the State Governments was also envisaged, जो राज्य सरकारों ने किया। एसईज़ेड में हम लोगों ने एक प्रोसेसिंग एरिया चिह्नित किया, जहां प्रोडक्शन का काम होगा, लेकिन वह हमेशा छोटा एरिया था और उसके सपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नॉन-प्रोसेसिंग एरिया, जो बहुत बड़ा एरिया था, उसमें सपोर्ट सर्विसेज़, स्कूल्स, मार्केटिंग, इम्प्लॉयेज़ इत्यादि का प्रावधान किया। भारत में अपने आप में यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। उनको इसके एडवांटेजेज़ भी दिए गए। उनको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का एडवांटेज दिया गया, इनकम टैक्स से 100 परसेंट एग्ज़म्पशन किया गया, जीएसटी में आज की तारीख में भी उनको पूरे तौर पर एग्ज़म्पशन दिया जाता है। राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने तरीके से एडवांटेजेज़ दिए। They have given a lot of exemptions to the SEZs. Each company or entity was allowed external commercial borrowings upto about $ 500 million and all with an effort to bring 100 per cent FDI.

यह योजना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन भारत में एक बात की चिंता रही। 2005 के एक्ट के बाद महाराष्ट्र में मुंबई में सांता क्रूज़ में एसईज़ेड बना, उसके बाद कोचिन, केरल में बना, सूरत, गुजरात में बना, चेन्नई, तमिलनाडु में बना, आपके यहां स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बना, वाईज़ैग, जहां से आंध्र प्रदेश के हमारे मित्र हैं, वहां बना, उत्तर प्रदेश के नोएडा में हमारे मित्र हैं, वहां बना, मध्य प्रदेश के इंदौर में बना। 5 लाख 7 हज़ार करोड़ रुपये का जो निवेश पूरे भारतवर्ष में हुआ, वह इन्हीं स्थानों पर हुआ। दुर्भाग्य से जो बाकी 20-22 राज्य हैं, वहां इसकी स्थापना नहीं हो पाई।

माननीय मंत्री जी हमारी नीति में निश्चित रूप से राज्य सरकारें महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश, जहां 22-23 करोड़ की आबादी हो, अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में दुनिया का एक देश होता, तो वह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता। अगर आपका उत्तर प्रदेश दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश होता, वहां भी दिल्ली के बगल में नोएडा में एक एसईज़ेड लगे, तो नीतिगत तौर पर कहीं न कहीं कुछ कमी रही है, जिसके कारण इसका विस्तार नहीं हो पाया। यह झारखंड में नहीं लग पाया। …(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : झारखंड में बहुत माइन्स-मिनरल्स हैं। …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : दुनिया में अगर एक राज्य है - जो पहले बिहार के साथ था, जब बिहार और झारखंड एक था - जहां सबसे ज़्यादा खनिज सम्पदा, सबसे वैरायटी की खनिज सम्पदा अगर धरती पर दुनिया में कहीं है, किसी एक छोटे से क्षेत्र में है, जहां यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, माइका भी है, मैंगनीज़ भी है, कोल भी है, गोल्ड भी है, तो वह झारखंड है। …(व्यवधान) वह हमारे पुराने बिहार का पार्ट होता था। …(व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री राजेन्द्र अग्रवाल) : निशिकांत जी भी बहुत कीमती हैं, ऐसी बात नहीं है।

…(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : अभी अर्जुन मुंडा साहब यहां थे, लेकिन चले गए। वहां भी आज तक कोई स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन नहीं बन पाया। बिहार तो भगवानों की धरती रही है, वहां भी स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन नहीं बन पाया। हमारी चिंता है कि यह स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की पॉलिसी बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है और वर्ष 2005 के बाद पहली बार वर्ष 2019 में उसमें संशोधन करने की आवश्यकता हुई। इसका मतलब इस पूरी नीति से देश को लाभ हुआ है। हम इसको स्वीकारते हैं। वर्ष 2005-06 में जो एक्सपोर्ट था, वह लगभग 22 हज़ार करोड़ रुपये का था।

(1555/SPS/RCP)

ये वर्ष 2016-17 के आंकड़े हैं, बाकी मंत्री जी बता देंगे, वर्तमान में क्या हैं? 5 लाख 23 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट आज एस.ई.जेड. से हो रहा है। मैं एक पत्र दिखाना चाहूंगा, क्योंकि सदन में इतिहास के बहुत सारे पन्ने रखे जाते हैं। मैं एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग पत्र रखना चाहूंगा, वह मेरे पास था। आज मैंने अपने संचयीकरण से उठाकर देखा। पीयूष गोयल जी से संदर्भित पत्र है। मैं जिन लोगों का नाम उल्लेख कर रहा हूं वे सब सदन में ही हैं, इसलिए उसकी कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। 26 सितम्बर 2006, को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैंकेया नायडू थे। ये संदर्भ इसलिए है कि माननीय मंत्री जी सिर्फ स्मरण कराऊंगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छा काम करें। उस समय हमारी राजनीतिक पार्टी की तरफ से एक कमेटी बनाई गयी थी, वैंकेया नायडू जी का ये पत्र है। वे उसके कन्वीनर थे, मैं उसका सदस्य था। उस दिन एक और पत्र जारी हुआ था, जिसमें पीयूष गोयल साहब कॉमर्स और ट्रेड सैल के इंचार्ज थे। जब ये कमेटी बनाई गई, ये कॉमर्स

और ट्रेड सैल के इंचार्ज थे। इन्होंने उस समय भी बहुत रिकमेण्डेशंस दी थीं और ये पत्र बनाया था। उसमें आज भी आपका मेरे हस्ताक्षर से नाम लिखा हुआ है, जो मैंने आपको निमंत्रण दिया था कि आप आकर उसको बताएं। आपने बहुत अच्छा किया है। इसके साथ-साथ मैं जिस विषय पर आना चाहता हूं, पीयूष जी आपके लिए भी बहुत संदर्भित है और सदन के लिए भी, जो हम लोगों की रिकमेण्डेशन है, लखनऊ में एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, जिसकी रिपोर्ट बनाने में पीयूष गोयल साहब का सबसे बड़ा योगदान था: 'Report of the BJP Committee on Special Economic Zones'. उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष वैंकेया नायडू जी थे। Number, size and location of SEZs के` बारे में चर्चा थी, रियल स्टेट के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में चर्चा की गयी थी। उसमें, Protection of productive land and interest of land-owning farmers and rural workers, के बारे में चर्चा थी और जितने ग्रामेटिकल एरर्स करेक्ट करने थे, वे सब माननीय पीयूष गोयल ने उस समय किए। It discussed about tax incentives and impact on revenue. It is a very good document. It also discussed about non-level playing field for business in DTA; interface between SEZs and DTA; SEZs and development of new townships; SEZs and IIT sector; and administrative weaknesses. There is a reasonable balance.

1557 बजे (डॉ. किरीट पी. सोलंकी पीठासीन हुए)

महोदय, इस विषय को माननीय पीयूष गोयल साहब को बताना चाहूंगा, क्योंकि आप इस मंत्रालय में हैं। समय-समय पर यह विषय उस समय भी हमने उठाया था और आज भी तमाम विषय हैं, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं। ये संदर्भित है, सभी के लिए संदर्भित है। उसमें हमारी सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेण्डेशंस थीं, लगभग उन 60 प्रतिशत रिकमेण्डेशंस को हम लोगों ने पूरा किया है। ये बहुत ही रेडिकल रिकमेण्डेशंस थीं। इस सदन को सुनना होगा और मैं सुनाना चाहूंगा। इसमें समरी ऑफ रिकमेण्डेशंस हैं, मैं एक-एक लाईन पढ़ दूंगा। The minimum area of the processing zone should not exceed 35 per cent of the total land acquired. No fertile and irrigated agricultural land should be acquired by the Government for SEZs. हम

किसानों की बात तब भी करते थे और आज भी किसानों की बात करते हैं, यह हमारा लक्ष्य है। हम लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। State Governments must prescribe minimum prices for land in various locations and categorise them. This was done, of course. Then we go ahead under 'Summaries'. Wherever feasible, farmers should be allotted equity shares in the developer companies. मुझे पता नहीं है, इसको लागू किया गया है या नहीं। There should be an additional suitable financial compensation. The displaced farm labour and allied eligible worker should be given preference in employment in these SEZs. There should be a plan for rehabilitation of the poor who would have got displaced.

All these visions which we had created are still a part of this. If there are any lacunae anywhere, I am sure, after the amendment of this Act, you will administratively look into these issues. Of course, there were many more recommendations in that. An independent regulatory authority to deal with issues related to SEZs was suggested.

महोदय, मैं इसलिए यह विषय रख रहा हूं कि ट्रस्ट को जोड़ने के लिए कहा गया है। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है। प्रेमचन्द्रन जी ने बीच-बीच में दो-तीन एप्रिहेंशन जाहिर की हैं और एस्पर्शन भी किया है, जो अनुचित है। हमारी सरकार अगर कभी भी कोई कदम उठाती है तो वह देश के हित में है, किसानों के हित में है, मजदूरों के हित में है। उस संकल्प के साथ हम देश की सरकार को लेकर चल रहे हैं। हमें नहीं पता, लेकिन पीयूष गोयल साहब यहां बैठे हैं, ये इस अमेण्डमेंट को लाए हैं और 2005-06 के बाद, 18-19 साल के बाद कोई अमेण्डमेंट लेकर आते हैं तो यह देश के हित में होगा।